# प्रारंभिक परीक्षा

## 'ऊर पारे' प्रागैतिहासिक स्थल

### संदर्भ

याकाई हेरिटेज ट्रस्ट के शोधकर्ताओं ने नीलगिरी में 'ऊर पारे' नामक एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक शैल कला स्थल को पुनः खोजा है।

### 'ऊर पारे' प्रागैतिहासिक स्थल के बारे में

- **स्थान**: यह स्थल तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कोटागिरी में स्थित प्रसिद्ध वेल्लारिकोंबई गांव के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
- **स्थानीय महत्व:** इरुला और कुरुम्बा आदिवासी समुदायों द्वारा इस स्थल को पवित्र माना जाता है।
- **ऊर पारे की चित्रकारी:**
    - प्रागैतिहासिक कला में व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक मिट्टी के रंगद्रव्य, लाल गेरू से निर्मित।
    - **आकृतियाँ**: 30 प्रकार की - मानव रूपी (शंकु के आकार का मुकुट), लंबी "सीढ़ी जैसी" आकृतियाँ और बिंदीदार आयताकार अनुष्ठानिक प्रतीक।

**शिलालेख बनाम चित्रलिपि: जबकि "ऊर पारे" में चित्रलिपि (चट्टान पर चित्रकारी) हैं, शिलालेख चट्टान की सतह को तराशकर या काटकर बनाई गई छवियां हैं (जो कोंकण क्षेत्र में प्रमुख हैं)।**

## ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

### संदर्भ

गुजरात के जीवित बचे जंगली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के विशेष रूप से मादा होने की जैविक बाधा को दूर करने के लिए, संरक्षणवादियों ने राज्य में एक दशक से अधिक समय में पहले चूजे को पैदा करने के लिए 'जंपस्टार्ट विधि' (Jumpstart Method) का सफलतापूर्वक उपयोग किया।

### जम्पस्टार्ट विधि के बारे में

- यह तकनीक वयस्क पक्षियों के तत्काल स्थानांतरण की आवश्यकता के बिना, एक ठहरावग्रस्त समूह में नए जीवन को शामिल कर स्थानीय जनसंख्या को "जम्पस्टार्ट" करती है।
- एक उर्वर अंडा किसी कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र (जैसे जैसलमेर, राजस्थान) से लिया जाता है और उसे जंगली आवास में स्थानांतरित किया जाता है।
- उस उर्वर अंडे को एक जंगली मादा के घोंसले में उसके अपने निष्फल अंडे के स्थान पर बदल दिया जाता है, जिसे वह अनजाने में सेती है।
- जंगली माता द्वारा अंडे सेने की प्रक्रिया से चूजा प्रयोगशाला के बजाय अपने प्राकृतिक परिवेश में आवश्यक जीवन-रक्षक कौशल और व्यवहार सीखता है।

### ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

| | |
|---|---|
| **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड**<br>**IUCN:** गंभीर रूप से लुप्तप्राय।<br>**CITES:** परिशिष्ट I<br>**WPA:** अनुसूची I<br>**CMS:** परिशिष्ट I | **वितरण (Distribution):** मुख्यतः राजस्थान के शुष्क घासभूमि क्षेत्रों (डेजर्ट नेशनल पार्क) में पाया जाता है, जहाँ अंतिम व्यवहार्य प्रजनन जनसंख्या विद्यमान है; इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के छोटे क्षेत्रों में तथा पाकिस्तान के कुछ भागों में भी पाया जाता है।<br>**विशेषताएँ (Features):** विश्व के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक, जिसका रूप प्रायः शुतुरमुर्ग से तुलना किया जाता है; यह सर्वाहारी स्थलीय पक्षी है (स्थानीय रूप से 'गोडावण' के नाम से जाना जाता है) जो घासभूमि पारितंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक प्रजाति है।<br>**संरक्षण प्रयास (Conservation Efforts):**<br>● राजस्थान सरकार द्वारा 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड'। |

| | |
|---|---|
| | ● पर्यावरण मंत्रालय द्वारा "अति संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम" के अंतर्गत शामिल।<br>● सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: विद्युत तारों पर पक्षी डाइवर्टर का अनिवार्य स्थापना—जो इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे (विद्युताघात) को रोकने हेतु।<br>● राजस्थान का राज्य पक्षी। |

**सम घास के मैदान:** जैसलमेर जिले में, रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान (डीएनपी) के अंतर्गत स्थित। यहाँ एक अत्याधुनिक कैप्टिव प्रजनन केंद्र है, जहाँ जंगली अंडों को वैज्ञानिक पर्यवेक्षण में एकत्र किया जाता है, सेया जाता है और चूजों को सेया जाता है।
**नालिया घास के मैदान:** गुजरात के कच्छ जिले में, विशेष रूप से लाला-पर्जन अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित।

## भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के साथ कोयला खदान विकास समझौते

### संदर्भ

कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला नीलामियों के 14वें दौर के तहत चार कोयला खदानों के लिए कोयला खदान/ब्लॉक उत्पादन और विकास समझौतों (CMDPAs) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के प्रावधान शामिल हैं।

- कोयला खदान/ब्लॉक उत्पादन और विकास समझौते (CMDPAs) वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों के विकास और उत्पादन के लिए कोयला मंत्रालय और सफल बोलीदाताओं के बीच हस्ताक्षरित औपचारिक समझौते हैं।

### उद्देश्य

- उन्नत UCG तकनीक के माध्यम से गहरे, पतले और अन्यथा अलाभकारी कोयला भंडारों के उपयोग को अधिकतम करना।
- आयातित ईंधन, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक पर निर्भरता कम करके भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना।

### प्रमुख विशेषताएं

- **पहली बार UCG एकीकरण:** चार कोयला खदानें: रेचेरला, चिंतलपुडी सेक्टर A1, बेलपहार का डिप एक्सटेंशन और टांगरडीही ईस्ट में 14वें नीलामी दौर के तहत अंतर्निहित UCG प्रावधान शामिल हैं।
- **स्वच्छ कोयला उपयोग:** UCG यथास्थान (in-situ) कोयले को सिनगैस (syngas) में परिवर्तित करता है, जिससे भौतिक निष्कर्षण की आवश्यकता कम हो जाती है और अधिक कुशल तथा अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन संभव होता है।
- **रणनीतिक औद्योगिक फीडस्टॉक:** सिनगैस का उपयोग यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर (DME) और सिंथेटिक ईंधन के घरेलू उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिससे आयात निर्भरता कम होगी।

## गंगा एक्सप्रेसवे

### संदर्भ

गंगा एक्सप्रेसवे भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश में किया। यह मेगा कॉरिडोर 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, और इसे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

### गंगा एक्सप्रेसवे की विशेषताएं

- राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 518 गांवों से होकर गुजरेगा, जिससे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
- इसे प्रारंभ में छह लेन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, और इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है।

- एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में गंगा और रामगंगा नदियों पर बने दो लंबे पुल शामिल हैं, जो बड़े विमानों को भी उतरने की अनुमति देते हैं। शाहजहाँपुर में जलालाबाद तहसील के पास एक 3.50 किलोमीटर की हवाई पट्टी इस परियोजना की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाती है।
- सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए, एक्सप्रेसवे के किनारे नौ सार्वजनिक सुविधा परिसरों की योजना बनाई गई है, जिसमें मुख्य टोल प्लाजा मेरठ और प्रयागराज में होंगे, और 15 स्थानों पर रैंप टोल प्लाजा होंगे।

**औद्योगिक और आर्थिक विकास**

गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है:

- मार्ग में स्थित 27 क्षेत्रों में औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने में सहायक होगा
- एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर जिनमें शामिल हैं:
  - भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए गोदाम
  - कृषि और खाद्य आपूर्ति को समर्थन देने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं
  - कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां
- राज्य भर में पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित करने की उम्मीद है
- उत्तर प्रदेश के एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है

## ओपेक (OPEC) से यूएई (UAE) का बाहर निकलना

**संदर्भ**

- संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है, जो चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक तेल गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

**ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) क्या है?**

- **स्थापना**: 1960 में बगदाद में
- **संस्थापक सदस्य:** ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करके तेल बाजारों को स्थिर करना, उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति प्रदान करना।
- **वर्तमान सदस्य (12 देश) हैं:** सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य और गैबॉन
  - अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से अपनी सदस्यता वापस ले ली।
- **तेल उत्पादन में योगदान:** 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक तेल उत्पादन में 38 प्रतिशत का योगदान
- **मुख्यालय**: वियना, ऑस्ट्रिया

**ओपेक+ क्या है?**

- **ओपेक+ 2016 में गठित एक विस्तारित गठबंधन है, जिसमें ओपेक के अलावा 10 गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश शामिल हैं।**
- **प्रमुख गैर-ओपेक सदस्य:** रूस, कजाकिस्तान, मैक्सिको, ओमान, आदि।
- **गठन का कारण:** वैश्विक स्तर पर उत्पादन में कटौती या वृद्धि का समन्वय करके गिरती तेल कीमतों का मुकाबला करना।
- **प्रमुख भूमिका:** ओपेक+ मिलकर वैश्विक तेल आपूर्ति के 40% से अधिक को नियंत्रित करता है और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है।
- कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे सऊदी अरब जैसे नेताओं के साथ टकराव का खतरा है।

**संयुक्त अरब अमीरात और ओपेक**

- ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, संयुक्त अरब अमीरात 1967 में तेल उत्पादक कार्टेल में शामिल हुआ।

### यूएई के बाहर निकलने के कारण

- **उत्पादन स्वतंत्रता बनाम ओपेक कोटा:** ओपेक कोटा ने यूएई को उसकी उत्पादन क्षमता (2027 तक ~5 मिलियन बैरल/दिन) विस्तार करने की क्षमता के बावजूद प्रतिबंधित किया।
- यूएई का लक्ष्य अपने भंडार का शीघ्र मुद्रीकरण करना है (उदाहरण के लिए, लंबी अवधि की उच्च कीमतों के लिए बचत करने के बजाय अब अधिक उत्पादन करना)।
- **सऊदी-यूएई मतभेद**: यूएई और सऊदी के बीच काफी समय से तनाव चल रहा है, लेकिन तेहरान के प्रति उनके साझा गुस्से ने इसे आंशिक रूप से ढक रखा था। हालाँकि ईरान युद्ध पर उनकी प्रतिक्रिया में नाजुक आम सहमति टूट गई:
  - **ईरान के खिलाफ प्रतिक्रिया:** अबू धाबी सऊदी अरब और कतर पर ईरान के खिलाफ संयुक्त जवाबी हमले शुरू करने के लिए दबाव डाल रहा था। लेकिन रियाद अमेरिका से ईरान को हराने का आग्रह कर रहा था।
  - **भू-राजनीतिक तनाव:** क्षेत्रीय संघर्षों पर मतभेदों (जैसे यमन, सूडान में असहमति और ईरान के हमलों पर प्रतिक्रिया) ने यूएई-सऊदी संबंधों को कमजोर किया।
    - **यमन में दृष्टिकोण:** सऊदी अरब अपनी सीमा की रक्षा के लिए एक सरकार के तहत एक संयुक्त और स्थिर यमन चाहता है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात दक्षिणी क्षेत्रों और बंदरगाहों में प्रभाव हासिल करने के लिए स्थानीय समूहों और अलगाववादियों का समर्थन करता है।
    - **सूडान में अंतर:** सऊदी अरब युद्धविराम और बातचीत का समर्थन करता है (जैसे लड़ाई रोकने के लिए जेद्दा शांति वार्ता की मेजबानी करना), जबकि संयुक्त अरब अमीरात को जमीन पर प्रभाव सुरक्षित करने के लिए एक गुट (RSF) का समर्थन करते हुए देखा जाता है।
  - **सऊदी-पाकिस्तान कारक:** सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संरेखण से यूएई की असंतुष्टि (उदाहरण के लिए अमेरिका-ईरान के बीच पाकिस्तान की तटस्थ मध्यस्थता को यूएई द्वारा कमजोरी के रूप में देखा गया)।
  - **नेतृत्व प्रतिद्वंद्विता:** सऊदी अरब खाड़ी में मुख्य नेता बने रहना चाहता है, जबकि यूएई स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
- **समर्थन की कमी से निराशा:** यूएई को बड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा लेकिन उसे मजबूत क्षेत्रीय समर्थन की कमी खली (जैसे ईरान संघर्ष के दौरान यूएई पर 2,200 से अधिक हमले, फिर भी कोई एकीकृत खाड़ी प्रतिक्रिया नहीं)।
- **अमेरिका के साथ निकट संरेखण:** बाहर निकलने से अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है (जैसे डोनाल्ड ट्रम्प के साथ संरेखित होना जिन्होंने ओपेक की आलोचना की है)।

### भारत के लिए निहितार्थ

- **कम तेल की कीमतें (सकारात्मक):** यूएई के बढ़ते उत्पादन से वैश्विक तेल की कीमतें कम हो सकती हैं (उदाहरण के लिए भारत के आयात बिल और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना)।
- **ऊर्जा सुरक्षा लाभ:** अधिक आपूर्ति लचीलापन (उदाहरण के लिए भारत सस्ते और विविध तेल स्रोतों तक पहुँच प्राप्त कर सकता है)।

## सिक्किम के राज्य के दर्जे के 50 वर्ष

### संदर्भ

प्रधानमंत्री ने सिक्किम के राज्य के दर्जे के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित साल भर चलने वाले समारोह के समापन समारोह में भाग लेने के लिए गंगटोक का दौरा किया।

### सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना समारोह के बारे में

मई 2025 में शुरू किया गया यह उत्सव, 1975 में सिक्किम के भारतीय संघ का हिस्सा बनने के पांच दशक पूरे होने का प्रतीक है। यह अवसर सिक्किम की एक हिमालयी राजशाही से पर्यावरण स्थिरता और समावेशी विकास के लिए जाने जाने वाले राज्य तक की यात्रा को दर्शाता है।

## सिक्किम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **राज्य का गठन:** सिक्किम साम्राज्य की स्थापना 1642 में फुंटसोंग नामग्याल के नेतृत्व में हुई थी, जो साम्राज्य के पहले चोग्याल या शासक बने।
- **ब्रिटिश संरक्षित राज्य:** 1861 में हस्ताक्षरित तुमलोंग की संधि के तहत, सिक्किम ब्रिटिश संरक्षण में आ गया और चीन तथा नेपाल के बीच एक रणनीतिक बफर (buffer) के रूप में कार्य किया।
- **भारतीय स्वतंत्रता के बाद की स्थिति:** 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, सिक्किम का तुरंत भारत में विलय नहीं हुआ। इसके बजाय, 1950 की भारत-सिक्किम संधि ने इसे एक भारतीय संरक्षित राज्य (protectorate) बना दिया। भारत ने रक्षा, विदेश मामलों और संचार की जिम्मेदारी संभाली, जबकि सिक्किम ने आंतरिक स्वशासन बनाए रखा।

## राज्य का दर्जा मिलने की ओर अग्रसर घटनाक्रम

- **लोकतांत्रिक मांगों का उदय:** 1960 और 1970 के दशक के दौरान, लोकतांत्रिक सुधारों और भारत के साथ मजबूत एकीकरण की मांग करने वाले जन आंदोलनों ने गति पकड़ी। सिक्किम नेशनल कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठनों ने इन विकासों में प्रमुख भूमिका निभाई।
- **1973 का त्रिपक्षीय समझौता:** राजशाही शासन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण 1973 में चोग्याल, भारत सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य राजनीतिक सुधारों को शुरू करना और अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करना था।
- **1975 का जनमत संग्रह:** अप्रैल 1975 में, एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया जिसमें मतदाताओं के भारी बहुमत ने राजशाही के उन्मूलन का समर्थन किया और भारत के साथ एकीकरण के पक्ष में मतदान किया।
- **संवैधानिक मान्यता:** जनमत संग्रह के बाद, संसद ने 36वां संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके माध्यम से सिक्किम आधिकारिक तौर पर 16 मई, 1975 को भारत का 22वां राज्य बन गया।

# मुख्य परीक्षा

## आरटीई अधिनियम और सामाजिक समावेशन

### संदर्भ

हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के महत्व को दोहराया है, और इसे अनुच्छेद 14 और 21A के तहत समानता और समावेशी शिक्षा के संवैधानिक आदर्शों की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान केवल एक कल्याणकारी पहल नहीं है, बल्कि सामाजिक एकीकरण के उद्देश्य से बनाया गया एक संवैधानिक तंत्र है।

### शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के बारे में

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को संविधान के अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसे 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह अधिनियम शिक्षा के प्रति 'परोपकार-आधारित दृष्टिकोण' से 'अधिकार-उन्मुख ढांचे' की ओर संक्रमण का प्रतीक है।

### आरटीई अधिनियम के उद्देश्य

- सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना
- स्कूली शिक्षा में समानता और सामाजिक समावेश को प्रोत्साहित करना
- शैक्षिक गुणवत्ता और सीखने के मानकों में सुधार करना
- स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट दर) और शैक्षिक असमानताओं को कम करना

### संवैधानिक और नीतिगत महत्व

- **अनुच्छेद 21A:** 6-14 वर्ष के बीच के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत:** अनुच्छेद 38, 39 और 46 राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करने का निर्देश देते हैं।
- **धारा 12(1)(c) की भूमिका:** यह प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों के भीतर विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देकर संवैधानिक लक्ष्यों को व्यवहार में परिवर्तित करता है।

### आरटीई अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा:** 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों से शुल्क नहीं लिया जा सकता है और न ही उन्हें स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। सरकार नामांकन, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- **नो डिटेंशन पॉलिसी (अनिवार्य प्रोन्नति):** प्रारंभ में, छात्रों को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण या निष्कासित नहीं किया जा सकता था। इस नीति को बाद में 2019 में संशोधित किया गया ताकि कक्षा 5 और 8 में परीक्षाओं की अनुमति दी जा सके।
- **स्कूलों के लिए मानक:** अधिनियम निम्नलिखित के संबंध में मानदंड निर्धारित करता है:
    - छात्र-शिक्षक अनुपात
    - बुनियादी ढांचा जैसे कक्षाएं, शौचालय और पीने का पानी
    - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षक योग्यताएं
- **भेदभाव पर रोक:** स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं अपना सकते और न ही बच्चों को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का शिकार बना सकते हैं।
- **स्कूल प्रबंधन समितियां (SMCs):** माता-पिता और स्थानीय प्रतिनिधियों वाली समितियां स्कूल के कामकाज और विकास योजनाओं की देखरेख करती हैं।

### आरटीई अधिनियम सामाजिक समावेशन को कैसे बढ़ावा देता है

- **निजी स्कूलों में 25% आरक्षण:** धारा 12(1)(c) के तहत, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी चाहिए। यह विविध सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है।
- **पड़ोसी स्कूल का सिद्धांत:** अधिनियम स्थानीय स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिससे वर्ग या भूगोल के आधार पर अलगाव को कम करने में मदद मिलती है।
- **समावेशी शिक्षण वातावरण:** स्कूलों को सामाजिक या आर्थिक आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है और उन्हें सुविधाओं तथा गतिविधियों तक समान पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

### शिक्षा के अधिकार के तहत सामाजिक एकीकरण का प्रभाव

- **सकारात्मक शैक्षिक और सामाजिक परिणाम**
  - अनुसंधान और कार्यान्वयन के अनुभव निम्नलिखित संकेत देते हैं:
  - बच्चों के बीच पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण में गिरावट
  - अधिक सहानुभूति और सामाजिक सहयोग
  - वंचित छात्रों के लिए साथियों के नेटवर्क और अवसरों तक बेहतर पहुंच
  - हाशिए पर रहने वाले बच्चों में आत्मविश्वास और आकांक्षाओं में वृद्धि
- **व्यापक सामाजिक लाभ:** यह नीति निम्नलिखित में योगदान देती है:
  - समावेशी नागरिकता
  - अंतर-पीढ़ीगत असमानता में कमी
  - लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय मूल्यों का सुदृढ़ीकरण
- **कार्यान्वयन साक्ष्य**
  - पांच मिलियन से अधिक बच्चों को कथित तौर पर प्रावधान के तहत लाभ हुआ है, कई राज्यों में उच्च प्रतिधारण दर दर्ज की गई है। दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों में एकीकृत कक्षाओं की बढ़ती स्वीकृति देखी गई है।
  - राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सहित कई राज्यों ने पारदर्शिता में सुधार और प्रशासनिक विवेक को कम करने के लिए डिजिटल प्रवेश प्रणाली और निगरानी तंत्र को अपनाया है।

### संबद्ध चुनौतियाँ

- **अलगाव के छिपे हुए रूप:** वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे अभी भी स्कूलों के भीतर कलंक, लेबलिंग या सूक्ष्म बहिष्कार का अनुभव कर सकते हैं।
- **असमान भागीदारी**: आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएं जैसे भाषा अंतर, परिवहन व्यय और अतिरिक्त शैक्षिक लागत भागीदारी को प्रभावित करती रहती हैं।
- **संस्थागत प्रतिरोध**: कुछ निजी स्कूलों ने समावेशन से संबंधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अनिच्छा दिखाई है।
- **प्रशासनिक कमजोरियां:** प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं:
  - स्कूलों को देरी से प्रतिपूर्ति
  - कमजोर शिकायत निवारण प्रणाली
  - राज्यों में असमान कार्यान्वयन

### आगे की राह

- आरटीई कार्यान्वयन के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करना
- निजी स्कूलों को समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना
- वंचित छात्रों के लिए छिपी हुई शैक्षिक लागतों को समाप्त करना

- शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना
- कमजोर वर्गों के बीच उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- कक्षाओं के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए स्कूलों की निगरानी करना

## रिक्यूज़ल याचिकाएँ (RECUSAL PLEAS)

### संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने पुनः पुष्टि की है कि न्यायाधीशों को पीठ की संरचना को प्रभावित करने या "फोरम शॉपिंग" को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई रिक्यूज़ल मांगों के समक्ष झुकना नहीं चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, यह निर्णय एक बढ़ते राजनीतिकीकृत विधिक परिवेश में जन-विश्वास बनाए रखने हेतु पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों के महत्व को भी रेखांकित करता है।

### न्यायिक रिक्यूज़ल क्या है? (What is Judicial Recusal?)

- **न्यायिक रिक्यूज़ल वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई न्यायाधीश संभावित हितों के टकराव या पक्षपात की संभावना के कारण किसी मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लेता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय निष्पक्ष रूप से तथा किसी भी व्यक्तिगत प्रभाव के बिना प्रदान किया जाए।**
- यह सिद्धांत विधिक सूक्ति पर आधारित है: "Nemo debet esse judex in propria causa" — अर्थात् कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।

### रिक्यूज़ल का संवैधानिक आधार (Constitutional Basis of Recusal)

- **संविधान में अवधारणा:** यद्यपि भारतीय संविधान में "रिक्यूज़ल" शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि यह अवधारणा संवैधानिक नैतिकता तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से उत्पन्न होती है।
- **पद की शपथ:** संविधान की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बिना भय, पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ लेते हैं।
- **अनुच्छेद 14 एवं 21:** अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत समानता का अधिकार तथा निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार, एक निष्पक्ष निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष न्यायसंगत सुनवाई के अधिकार को सम्मिलित करता है।
- **न्यायिक मूल्यों का पुनर्वक्तव्य:** वर्ष 1997 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्वक्तव्य" (Restatement of Values of Judicial Life) को अंगीकृत किया, जो न्यायाधीशों को रिश्तेदारों, निकट सहयोगियों या व्यक्तिगत परिचितों से संबंधित मामलों की सुनवाई से बचने की सलाह देता है।

### न्यायिक रिक्यूज़ल के आधार (Grounds for Judicial Recusal)

- **वित्तीय या आर्थिक हित:** यदि न्यायाधीश या उसके परिवार का विवाद में कोई मौद्रिक हित हो, जैसे कि वाद से संबंधित किसी कंपनी में शेयर का स्वामित्व, तो रिक्यूज़ल आवश्यक हो जाता है।
- **व्यक्तिगत पक्षपात:** यदि किसी वादी या अधिवक्ता के साथ न्यायाधीश का व्यक्तिगत संबंध हो, अथवा न्यायाधीश ने पूर्व में किसी पक्ष का पेशेवर रूप से प्रतिनिधित्व किया हो, तो वह स्वयं को अलग कर सकता है।
- **विषय-वस्तु आधारित पक्षपात:** जब न्यायाधीश ने विचाराधीन विधिक मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से प्रबल मत व्यक्त किए हों, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, तब भी रिक्यूज़ल उत्पन्न हो सकता है।

### भारत में रिक्यूज़ल की प्रक्रिया (Procedure of Recusal in India)

- **स्वैच्छिक रिक्यूज़ल**: प्रत्यक्ष हितों के टकराव को पहचानने पर न्यायाधीश स्वयं ही मामले से अलग हो सकता है।
- **अनुरोध पर रिक्यूज़ल:** वाद में सम्मिलित पक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रिक्यूज़ल का अनुरोध कर सकते हैं। तथापि, अंतिम निर्णय पूर्णतः संबंधित न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है।
- **संहिताबद्ध नियमों का अभाव:** वर्तमान में भारत में न्यायिक रिक्यूज़ल को विनियमित करने हेतु विस्तृत वैधानिक ढाँचे का अभाव है। यह प्रथा मुख्यतः संवैधानिक परंपराओं तथा न्यायिक नज़ीरों द्वारा निर्देशित होती है।

### न्यायिक रिक्यूज़ल से संबंधित चिंताएँ (Concerns Associated with Judicial Recusal)

- **फोरम शॉपिंग**: बार-बार रिक्यूज़ल के अनुरोध वादियों को कुछ न्यायाधीशों से बचने और अपने अनुकूल मानी जाने वाली पीठों की तलाश करने हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। न्यायालयों ने ऐसे "बेंच हंटिंग" के प्रति सावधान किया है।
- **न्यायिक दायित्व का संतुलन:** न्यायाधीशों का कर्तव्य न केवल पक्षपात की स्थिति में स्वयं को अलग करना है, बल्कि ऐसे मामलों की सुनवाई करना भी है जहाँ कोई वैध हितों का टकराव नहीं है। अत्यधिक रिक्यूज़ल न्यायपालिका पर भार डाल सकते हैं और न्याय वितरण में विलंब उत्पन्न कर सकते हैं।
- **अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता: चूँकि** न्यायाधीश अक्सर स्वयं को अलग करने के विस्तृत कारण प्रस्तुत नहीं करते, अतः रिक्यूज़ल निर्णयों में पारदर्शिता और सुसंगतता की कमी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

### आगे की राह

- **विधिक ढाँचा:** न्यायिक रिक्यूज़ल न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने तथा निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु एक आवश्यक सुरक्षा उपाय बना हुआ है। तथापि, एक औपचारिक विधिक ढाँचे के अभाव से अस्पष्टता बनी रहती है।
- **सर्वोत्तम प्रथा:** विधि विशेषज्ञों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में अपनाई जाने वाली प्रथाओं के समान एक संहिताबद्ध तंत्र अपनाने का सुझाव दिया है, जिससे वास्तविक पक्षपात संबंधी चिंताओं और फोरम शॉपिंग के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके।

## कूटनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

### संदर्भ

- देश विदेश नीति के काम में एआई का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं, यह दिखाते हुए कि कूटनीति कैसे तेज और अधिक प्रौद्योगिकी-संचालित होती जा रही है।

### कूटनीति में एआई का अनुप्रयोग

- **त्वरित सूचना पहुंच:** एआई राजनयिकों को पुराने समझौतों और पिछले निर्णयों को तुरंत खोजने में मदद करता है।
  - उदाहरण: सिंगापुर का एआई टूल पुरानी वार्ताओं को डिजिटल मेमोरी की तरह संग्रहीत और याद रखता है।
- **तेजी से ड्राफ्टिंग:** एआई नोट्स, रिपोर्ट और आधिकारिक बयान जल्दी लिख सकता है।
  - उदाहरण: मंत्रालय घंटों के बजाय मिनटों में भाषण या समझौते तैयार कर सकते हैं।
- **परिदृश्य अनुकरण (Scenario Simulation):** एआई वार्ता के परिणामों का मॉडल तैयार करता है और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर रणनीतियों का सुझाव देता है।
  - उदाहरण: व्यापार या जलवायु वार्ता के दौरान, एआई अनुकरण कर सकता है कि विभिन्न रियायतें परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।
- **समान अवसर प्रदान करना:** एआई विशाल नौकरशाही पर निर्भरता को कम करता है, जिससे छोटे राज्यों को कूटनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है।
  - उदाहरण: एआई उपकरणों से लैस एक छोटा प्रतिनिधिमंडल बड़ी टीमों वाले प्रमुख देशों की विश्लेषणात्मक क्षमता का मुकाबला कर सकता है।
- **रीयल-टाइम सहायता:** एआई तत्काल अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए विविध इनपुट (दस्तावेज, वॉयस नोट्स, चित्र) को एकीकृत करता है।
  - उदाहरण: राजनयिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एआई सहायक आने वाले संचार को संसाधित कर सकते हैं और रीयल-टाइम में कार्रवाई योग्य सारांश उत्पन्न कर सकते हैं।
- **मुख्य कूटनीतिक कौशल पर ध्यान:** दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करके, एआई राजनयिकों को बातचीत, अनुनय और संबंध-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।
  - उदाहरण: कागजी कार्रवाई पर खर्च किए जाने वाले समय को कम करने से रणनीतिक संवाद में जुड़ाव बढ़ता है।

### कूटनीति में एआई से जुड़े जोखिम

- **मानवीय निर्णय क्षमता का क्षरण:** कूटनीति सहानुभूति, सांस्कृतिक समझ और राजनीतिक अंतर्ज्ञान पर निर्भर करती है, जिसमें एआई का अभाव है (उदाहरण के लिए, एआई वार्ताओं में सूक्ष्म कूटनीतिक संकेतों या सांस्कृतिक संवेदनाओं की व्याख्या करने में विफल हो सकता है)।
- **स्वचालित निर्णयों पर अत्यधिक निर्भरता:** नीति निर्माता एआई-जनित सिफारिशों पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, पर्याप्त मानवीय विचार-विमर्श के बिना बातचीत की स्थिति तय करने के लिए एआई सिमुलेशन का उपयोग करना रणनीतिक गलतियों का कारण बन सकता है)।
- **संदर्भ की गलत व्याख्या:** गलत पैटर्न पहचान के कारण एआई त्रुटिपूर्ण विश्लेषण कर सकता है (उदाहरण के लिए, पिछली संधि के दायित्वों या भू-राजनीतिक संदर्भों को गलत पढ़ना, जिससे गलत नीतिगत सलाह मिल सकती है)।
- **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम:** कूटनीतिक डेटा अत्यधिक संवेदनशील होता है और साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील होता है (उदाहरण के लिए, बातचीत के डेटा को संभालने वाले एआई सिस्टम की हैकिंग राष्ट्रीय रणनीतियों को उजागर कर सकती है)।
- **एल्गोरिथम पक्षपात:** पक्षपाती डेटा पर प्रशिक्षित एआई सिस्टम विकृत सिफारिशें उत्पन्न कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण डेटासेट में एम्बेडेड कुछ भू-राजनीतिक दृष्टिकोणों का पक्ष लेना)।
- **तकनीकी असमानता:** उन्नत एआई क्षमताएं तकनीकी रूप से उन्नत देशों के बीच शक्ति का संकेंद्रण कर सकती हैं (उदाहरण के लिए, विकसित देशों का विकासशील देशों पर असंगत कूटनीतिक लाभ प्राप्त करना)।
- **जवाबदेही में कमी:** एआई-संचालित निर्णय जिम्मेदारी में अस्पष्टता पैदा करते हैं (उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट नहीं होना कि त्रुटिपूर्ण परिणामों के लिए नीति निर्माता या एआई सिस्टम जवाबदेह हैं)।

### आगे की राह

- **मानव-केंद्रित दृष्टिकोण:** अंतिम निर्णयों पर मानवीय नियंत्रण बनाए रखें (उदाहरण के लिए, एआई को एक सलाहकार उपकरण के रूप में उपयोग करना, वार्ताओं में निर्णय लेने वाले के रूप में नहीं)।
- **क्षमता निर्माण:** राजनयिकों को एआई उपकरणों और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करना (उदाहरण के लिए, विदेश सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एआई साक्षरता को शामिल करना)।
- **मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय:** संवेदनशील कूटनीतिक डेटा की रक्षा करना (उदाहरण के लिए, साइबर हमलों और डेटा उल्लंघन के खिलाफ एआई सिस्टम को सुरक्षित करना)।
- **संतुलित एकीकरण:** मानवीय निर्णय के साथ एआई दक्षता का संयोजन करना (उदाहरण के लिए, विश्लेषण के लिए एआई का उपयोग करना जबकि बातचीत और विश्वास-निर्माण के लिए राजनयिकों पर भरोसा करना)।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** वैश्विक शासन में एआई को विनियमित करने के लिए बहुपक्षीय ढांचे को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों के माध्यम से सहयोग)।

एआई दक्षता, विश्लेषण और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाकर कूटनीति को बदल रहा है, लेकिन इसका प्रभावी उपयोग कूटनीति के मानवीय मूल—सहनुभूति, निर्णय और विश्वास—को संरक्षित करने और तकनीकी लाभों का जिम्मेदारी से उपयोग करने पर निर्भर करता है।